भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.1335

(जिसका उत्तर सोमवार 27 जुलाई, 2026 / 5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

प्लास्टिक नोट शुरू करना

1335. **श्री रामप्रीत मंडल:**

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक का पॉलीमर/प्लास्टिक के नोट शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कागजी मुद्रा को पॉलीमर नोटों से बदलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने, अपने केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के अनुसार क्षेत्रीय परीक्षणों (फील्ड ट्रायल) के लिए ₹10 और ₹20 के एक-एक बिलियन पॉलिमर बैंक नोट शुरू करने और क्षेत्रीय परीक्षणों (फील्ड ट्रायल) के सफल समापन के बाद इन दो मूल्यवर्गों में पॉलीमर बैंक नोट नियमित रूप से जारी करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, पॉलिमर बैंक नोटों का जीवन काल कागजी बैंक नोटों की तुलना में काफी अधिक है। पॉलिमर बैंक नोटों को लाने का काम फिलहाल प्रारंभिक चरण में है और डिजिटल भुगतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पता इन नोटों के नियमित रूप से जारी होने के बाद ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा, बैंकनोट और डिजिटल भुगतान प्रणाली जनता के लिए उपलब्ध भुगतान के पूरक साधन हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, कागज-आधारित बैंकनोटों के साथ-साथ पॉलिमर बैंक नोटों को जारी करने का प्रस्ताव है और कागजी मुद्रा को पॉलिमर सब्सट्रेट-आधारित बैंकनोटों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
